

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार)

08 जुलाई, 2021

व्यापार सूचना

बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुबंधों का ऑनलाइन पंजीकरण

विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (डी.जी.एफ.टी) द्वारा 1 अगस्त, 2016 को जारी की गई अधिसूचना सं. 18/2015-20, बासमती चावल के निर्यात की अनुमति कुछ शर्तों के अधीन है, जिनमें शिपमेंट से पहले एपीडा, नई दिल्ली के साथ अनुबंध का पंजीकरण महत्वपूर्ण है।

इसलिए, एपीडा ने अनुबंधों के ऑन-लाइन पंजीकरण और पंजीकरण-सह आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया विकसित की है। डीजीएफटी अधिसूचना की अन्य शर्तें और आयात करने वाले देशों की आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

1. निर्यात किए जाने वाले चावल के अनाज की लंबाई 6.61 मी.मी. से अधिक और अनाज की चौड़ाई की लंबाई का अनुपात 3.5 से अधिक हो।
2. कस्टम ईडीआई पोर्ट के माध्यम से निर्यात की अनुमति है। भारत-बांग्लादेश और भारत-नेपाल सीमा पर गैर-ईडीआई लैंड कस्टम स्टेशनों (एलसीएस) के माध्यम से भी निर्यात की अनुमति है, जो कि डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरण (आरए) कोलकाता और पटना के साथ मात्रा के पंजीकरण के अधीन है और समय-समय पर ऐसे मात्रा के पंजीकरण के उद्देश्य से डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य आरए को नामित किया जाएगा।
3. मार्किंग के साथ खाली मुद्रित गनी बैग का निर्यात जो उत्पाद को भारतीय बासमती चावल होने का संकेत देता है। बासमती चावल की खेप के निर्यात के लिए इसके अलावा किसी भी अतिरिक्त तरीके की अनुमति नहीं दी जाती है साथ ही निर्यात किए जा रहे बासमती चावल के भरे हुए गनी बैगों की कुल संख्या का 2% से अधिक नहीं होगा।
4. थोक अथवा 50 किलोग्राम या उससे अधिक के बैग में निर्यात किए गए बिना-बैग वाले भारतीय बासमती चावल की स्थिति में मार्किंग के साथ खाली मुद्रित गनी बैग का निर्यात उत्पाद को भारतीय बासमती चावल होने का संकेत देता है, वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले निर्यात किए जा रहे खाली बैगों की खेप और आकार की कुल मात्रा जिसे किसी भी तरीके से अनुमति दी जाएगी।
5. बासमती चावल के निर्यात को स्वीकृति (डी/ए) के समक्ष दस्तावेज के आधार पर तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि इस प्रकार के निर्यात को बैंक गारंटी या ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर नहीं किया जाता है।

6. **रूसी फेडरेशन** को समय-समय पर एपीडा द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा जारी पूर्व-शिपमेंट गुणवत्ता प्रमाणन के अधीन अनुमति दी जाती है, जो समय-समय पर एपीडा वेबसाइट पर अपडेट की जाती है।
7. **संयुक्त राज्य अमरीका** को निर्यात केवल चावल मिलों / प्रसंस्करण इकाइयों से पंजीकृत किया जाएगा, जिन्हें पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 04.02.2016 की OM फा.सं 0119-36/2010-पीओडी (संस्करण-V) के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा।
8. **इंडोनेशिया** में निर्यात के लिए इंडोनेशिया कृषि संगरोध एजेंसी द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं में से एक से पूर्व-शिपमेंट परीक्षण आवश्यक है।
9. **ईरान** को चावल के निर्यात के लिए एपीडा ट्रेड नोटिस के अनुसार 17 जून, 2014 के अनुसार पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण की आवश्यकता होती है।
10. 01 जुलाई, 2021 की डीजीएफटी अधिसूचना सं. 29/2015-2020 के अनुसार, **यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों नामतः आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड** को निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी)/निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) द्वारा 'निरीक्षण प्रमाण पत्र' जारी करने के अधीन निर्यात करने की अनुमति है। ईआईसी/ईआईए द्वारा **1 जनवरी, 2022 से लागू शेष यूरोपीय देशों** को निर्यात के लिए निरीक्षण प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। तदनुसार आवेदकों को यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अन्य यूरोपीय देशों नामतः आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड में बासमती चावल के निर्यात के लिए और इस संबंध में समय-समय पर सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार एपीडा द्वारा आरसीएसी जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय ईआईसी/ईआईए द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रमाण-पत्र को अपलोड करना आवश्यक होगा।
11. जीएसीसी द्वारा अनुमोदित चावल प्रतिष्ठानों से **चीन** को निर्यात की अनुमति है।
12. **सउदी अरब** में निर्यात के लिए उन चावल प्रतिष्ठानों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने 1 नवंबर, 2019 से लागू आईएसओ 22000 और/या एचएसीसीपी जैसे खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाया है। व्यापारी निर्यातक सउदी अरब में बासमती चावल का निर्यात कर सकते हैं, हालांकि, आरसीएसीईटी जारी करने से पहले आवेदकों को चावल प्रतिष्ठान से एक प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा जहां से चावल खरीदा गया है।
13. यह व्यापार सूचना एपीडा द्वारा बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुबंधों के ऑन-लाइन पंजीकरण के संबंध में जारी किए गए सभी पूर्व व्यापार सूचनाओं के अधिप्राप्ति में जारी किया जा रहा है।

प्रक्रिया

: बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुबंधों के पंजीकरण आवेदन को पंजीकृत निर्यातक सदस्यों को उपलब्ध किए गए उपयोगकर्ता आई.डी और पासवर्ड का उपयोग करके एपीडा वेबसाइट www.apeda.gov.in पर निर्यातकों द्वारा ऑनलाइन भरा जा सकता है। अनुबंध के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने से पहले एलसी / अनुबंध / प्रोफार्मा चालान की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करनी होगी।

आवेदक विशेष रूप से घोषणा की जाएगी कि निर्यात स्वीकृति दस्तावेज़ (डी/ए) के आधार पर नहीं किया जा रहा है जब तक कि इस तरह के निर्यात को बैंक गारंटी या ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर नहीं किया जाता है।

प्रसंस्करण शुल्क

: दिनांक 3 नवंबर, 2014 की फा.सं. 12/8/2008- ईपी (एग्री. III) के माध्यम से वाणिज्य विभाग द्वारा यथा अनुमोदित, अनुबंधित मात्रा की रु. 35.40 प्रति मीट्रिक टन की दर से (30 रुपए प्रति मीट्रिक टन के साथ जीएसटी @ 18%) प्रसंस्करण शुल्क का भुगतान ऑन-लाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाएगा। सेवा कर में कोई भी परिवर्तन सरकार द्वारा घोषणा के आधार पर लागू होगा।

पंजीकरण

: निर्यातक द्वारा एपीडा में पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाण-पत्र (आरसीएसी) जारी करने के लिए आवेदन के साथ प्रयोगशालाओं या ईआईसी / ईआईए से जारी प्रासंगिक प्रमाणपत्रों की एक प्रति प्रस्तुत की जाए।

आवेदन की जाँच एलसी / अनुबंध / प्रोफार्मा चालान की सॉफ्ट कॉपी के साथ की जाएगी और आरसीएसी को भी ऑन-लाइन जारी किया जाएगा और आवेदक के लॉगिन पृष्ठ पर एपीडा वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। अन्य निर्यात दस्तावेजों के साथ सीमा शुल्क जमा करने के लिए आवेदक आरसीएसी का प्रिंटआउट ले सकता है।

मान्यता

: आरसीएसी को जारी करने की तारीख से 45 दिनों की शिपमेंट मान्यता के साथ सभी निर्यातकों को जारी किया जाएगा। इसलिए, अनुबंध निर्यातकों के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जाती है कि पंजीकरण के लिए लागू की गई मात्रा वह है जिसे अगले 45 दिनों में भेजने की योजना है।

एस.एस.नैय्यर
महाप्रबंधक